न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 68/2014 G.C.M.S. No. 2014/00178 दर्ज दिनांक : 02.09.2014

अपीलार्थिगण:

1. स्व. वेनाराम कायम मुकाम :–
1/1 स्व रामाराम पुत्र वेनाराम के कायम मुकाम
1/1/अ. बाबुलाल पुत्र. रामा
1/1/ब. फुली देवी बेवा रामा
1/2 भुराराम पुत्र वेनाराम
2 स्व. हुरा के कायम मुकाम
2/1 हका पुत्र हुरा के कायम मुकाम
2/1/ अ धना पुत्र हका के कायम मुकाम
2/1/ अ/क–लुम्बा पुत्र धना
2/1/अ/ख–वक्ता पुत्र धना
2/1/ब–हिमता पुत्र समा
2/2 खीमा पुत्र हुरा के कायम मुकाम
2/2/1 चेला पुत्र खीमा
2. स्व गला पुत्र चतरा जी के कायम मुकाम–
3/1 नवा पुत्र गला के कायम मुकाम
3/1/ अ. हीरा पुत्र नवां
3/1/ ब. पोमा पुत्र नवा
3/2 मुला पुत्र गला के कायम मुकाम–
3/2/अ. दीपा पुत्र मुला
3/2/ब. थाना पुत्र मुला
3/2/ स. लुम्बा पुत्र मुला
4/1 कुपा पुत्र दला के कायम मुकाम
4/1/अ– उमा पुत्र कुपा
4/2 रता पुत्र दला के कायम मुकाम
4/2/ अ हीरा पुत्र रता
4/3 पेमा पुत्र दला के कायम नुकाम
4/3/ब– लसा क कायम मुकाम
4/3/ब/क– प्रकाश पुत्र लच्छा
4/3/ब/ख– किशोर पुत्र लच्छा
4/3/ब/ग– जतना पत्नी लच्छा
4/4 टेका पुत्र दला के कायम मुकाम
4/4/1– खेता पुत्र टेका
4/4/2– गिरदारी पुत्र टेका
4/4/3– नेना पुत्र टेका
4/5 फता पुत्र दला के कायम मुकाम
4/5/1– नगा पुत्र फता
4/5/2– वक्ता पुत्र फता
4/6 इन्दा पुत्र दला के कायम मुकाम
4/6/1– मोहन पुत्र इन्दा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4/6/2– समाराम पुत्र इन्दा
4/6/3– मालाराम पुत्र इन्दा
4/6/4– पोकर. पुत्र इन्दा
4/6/5– हिमताराम पुत्र इन्दा
5. भोमा पुत्र नवीया पौत्र मकना
तमाम जातीगण मेघवाल निवासी फालना गाँव तहसील बाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली
2. कानाराम पुत्र समा पौत्र हका
3 नेमा पुत्र परका पौत्र चेना
4 रामा पुत्र परका पौत्र चेना
5 बगदा पुत्र राजा पौत्र चेना
6 नगाराम पुत्र केशा पौत्र गला परपौत्र मकना
7 सुरेश पुत्र केशा पौत्र गला परपौत्र मकना
8 शेषाराम पुत्र केशा पौत्र गला परपौत्र मकना
9 रतीदेवी बेवा केशा पुत्र वधु गला परपुत्र वधु मकना
10 रामलाल पुत्र भीखा पौत्र गला परपुत्र मकना
11 मोहनलाल पुत्र भीखा पौत्रगला परपुत्र मकना
12 रघुनाथ पुत्र भीखा पौत्र गला परपुत्र मकना
13 खेताराम पुत्र भीखा पौत्र गला परपुत्र मकना
14 रामा पुत्र गला पौत्र मकना
15 हेमा पुत्र गला पौत्र मकना
16 सदा पुत्र नवीया पौत्र मकना
17 जीवा पुत्र रूपा
18 सवा पुत्र रूपा
19 जोधा पुत्र कुपा
20 मगा पुत्र रता
21 गणेश गलबा
22 मुकेश पुत्र गलबा
23 दाकु पत्नी गलबा
24 माना पुत्र लसा
25 छोगा पुत्र लसा, तमाम जातिगण मेघवाल निवासी फालना, गाँव तहसील बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2001 बअनवान वेना के का.मु. बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2012 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राज पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2001 बअनवान वेना के का.मु. बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट (वादीगण) द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध घोषणा दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या 200 रकबा 31 बीघा 02 बिस्वा, 201 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा, 202, 01 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा की आराजीयात अपीलान्ट के कब्जे काश्त की स्थिति रही हैं। इसमें से 21 बीघा शिवलाल पुत्र वेना गुरूडा को बेचान की। खसरा संख्या 201 में स्कूल का निर्माण किया, खसरा संख्या 202 में पीचका बनाया गया। इसके बाद अपीलान्ट की 10 बीघा भूमि शेष रही। जो खसरा संख्या 1167 व 1168 है। इसमें अपीलान्ट वादीगण का कब्जा काश्त है व उपयोग–उपभोग है। खसरा संख्या 1167 व 1168 नये हैं। जिसके पुराने खसरा संख्या 200 है। खसरा संख्या 200 को विभिन्न टुकडों में बांटा गया। इस कारण खसरा संख्या 1167 व 1168 का वादी (अपीलान्ट) को खातेदार घोषित किया जावे। अपीलान्ट द्वारा संवत् 2009 से 2029 की मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श 12 जमाबन्दी संवत 2015 से 2019, प्रदर्श 11 गिरदावरी संवत 2015 से 2027 तक, प्रदर्श 6 से प्रदर्श 10 तक की पेश की। नक्शा किस्तवार पुराने खसरा संख्या 200 प्रदर्श 01 व नया नक्शा प्रदर्श 04 प्रदर्शित करवाए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 स्टेट ने अपने जवाब में तथ्यों का खण्डन किया। परन्तु साक्ष्य पेश नहीं की। बाद सुनवाई के वाद वादी (अपीलान्ट) खारिज कर दिया। जो कि विधिविरूद्ध है। अपीलधीन कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 200 की है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी हटाकर नये खसरा संख्या 1167, व 1168 कायम कर इन्द्राज बदलकर सिवाय चक दर्ज कर दी गई। इन्द्राज बदलने का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं था। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 (प्रतिवादी) द्वारा भी सिवाय चक भूमि होने के सम्बंध में विशिष्ट कथन अपने जवाब दावा में नहीं किया। न ही खण्डनात्मक साक्ष्य व दस्तावेजात पेश किये। अपीलान्ट द्वारा अपने दस्तावेजी सबूत के आधार पर वाद साबित किया। प्रदर्श 10 गिरदावरी संवत् 2024 से 2027 में 10 बीघा का अलग टुकडा खालसा सरकार बिना किसी सबूत के किया गया। इसमें भी अपीलान्ट की काश्त गेंहू दर्ज है। खसरा गिरदावरी सख्या 2015 से 2027 तक में 10 बीघा पर कास्त होने के प्रमाण है। अपीलान्ट द्वारा समय समय पर जव, रिजका, गेहूं, कांदा भी इस खसरा की भूमि में बोए हैं व वर्तमान में भी काश्त योग्य भूमि है। अपीलान्ट का कब्जा कास्त भी साबित है। इस कारण निर्णय व डिक्री पारित कर वाद खारिज नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय में जो तनकीयात कायम की, इसको अपीलान्ट द्वारा अपनी साक्ष्य व दस्तावेजात से साबित किया। अपीलान्ट की जिम्मे की तमाम तनकीयात साबित हुई, इस कारण वाद डिक्री किया जाना चाहिये था। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई, न ही विशिष्ट कथन के द्वारा प्रतिवादी ने वाद अस्वीकार किया, न ही खण्डनात्मक साक्ष्य ही रेकर्ड पर आई। अपीलान्ट अनपढ़ है। ग्रामीण है व कानूनी जानकारी का अभाव होने के कारण वाद की पैरवी करने के लिए सुगनलाल पुत्र कलाजी गवारिया व कानाराम पुत्र समाजी को आम मुख्तियार दिया गया था। सुगनलाल ही वाद की पैरवी करने हेतु उपस्थित रहता था व कानाराम बोम्बे में निवासरत रहा है व सुगनलाल के सलाह अनुसार उपस्थित रहता था। अधिवक्ता से सम्पर्क भी सुगनलाल करता रहता, परन्तु अपीलान्ट को वाद की कार्यवाही की जानकारी नहीं थीं, न ही जानकारी सुगनलाल देता था। सुगनलाल से सम्पर्क नहीं रहने व मतभेद होने के कारण वाद की प्रोग्रेस की सूचना नहीं दी, न ही वाद के खारिज होने की सूचना दी। कानाराम भी अपीलान्ट से नाखुश था। इस कारण वाद की पैरवी नहीं की, न ही वाद खारिज होने की सूचना दी। वादीगण (अपीलान्ट) आम मुख्तियार पर निर्भर थें। इस कारण वाद के खारिज होने की जानकारी का अभाव था। अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी दिनांक 24.07.2014 को हुई। जब मौके पर कृषि करने गए व अपीलान्ट को काश्त करने से मोहनलाल द्वारा रोका गया। अपीलान्ट द्वारा जानकारी होते ही दिनांक 25.07.2014 को नकल आवेदन किया व नकल दिनांक 28.07.2014 को एस.डी. ओ. बाली से प्राप्त की व अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो तमाम जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 सरकार के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2012 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.08.2014 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अनपढ़ है। ग्रामीण है व कानूनी जानकारी का अभाव होने के कारण वाद की पैरवी करने के लिए सुगनलाल पुत्र कलाजी गवारिया व कानाराम पुत्र समाजी को आम मुख्तियार दिया गया था। सुगनलाल ही वाद की पैरवी करने हेतु उपस्थित रहता था व कानाराम बोम्बे में निवासरत रहा है व सुगनलाल के सलाह अनुसार उपस्थित रहता था। अधिवक्ता से सम्पर्क भी सुगनलाल करता रहता, परन्तु अपीलान्ट को वाद की कार्यवाही की जानकारी नहीं थीं, न ही जानकारी सुगनलाल देता था। सुगनलाल से सम्पर्क नहीं रहने व मतभेद होने के कारण वाद की प्रोग्रेस की सूचना नहीं दी, न ही वाद के खारिज होने की सूचना दी। कानाराम भी अपीलान्ट से नाखुश था। इस कारण वाद की पैरवी नहीं की, न ही वाद खारिज होने की सूचना दी। वादीगण (अपीलान्ट) आम मुख्तियार पर निर्भर थें। इस कारण वाद के खारिज होने की जानकारी का अभाव था। अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी दिनांक 24.07.2014 को हुई। जब मौके पर कृषि करने गए व अपीलान्ट को काश्त करने से मोहनलाल द्वारा रोका गया। अपीलान्ट द्वारा जानकारी होते ही दिनांक 25.07.2014 को नकल आवेदन किया व नकल दिनांक 28.07.2014 को एस.डी. ओ. बाली से प्राप्त की व अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो तमाम जानकारी प्राप्त हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर म्याद है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट पैरोकार सरकार द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का विरोध कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त थें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट द्वारा लगभग 678 दिवस के विलंब से अपील पेश की हैं तथा विलंब के लिए कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण थें तथा इनकी ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त थें तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक से बखूबी जानकारी थीं। अपीलांट्स का यह उज्र कि उसके अधिवक्ता द्वारा उसे सूचित नहीं किया गया, के संबंध में हमारे विनम्र मत में प्रथम तो पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहें तथा न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में जैरकार प्रकरण से अद्यतन रहें। साथ ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय कारण व आधार दर्शित नहीं किया है जिसके आधार पर विलंबकाल माफ किया जा सकें। अपीलांट द्वारा लगभग 678 दिवस का दीर्घ विलंब कारित किया है। जबकि प्रथम अपील के लिए 60 दिवस की परिसीमा निर्धारित है। अपीलांट द्वारा दिन–प्रतिदिन के विलंब के कारण भी दर्शित नहीं किए हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विलंब के कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा स्वयं की लापरवाही व जानबूझकर कारित 678 दिवस का दीर्घ विलंब माफी योग्य नहीं हैं।

5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **678 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य न हीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **678 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है. फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner